न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 42/2014

राजस्व अभियान न्याय आपके द्वार 2017

श्री किशनलाल पुत्र श्री भूरा जाति जाट निवासी ग्राम केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

.........अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर।
2. श्री कालू पुत्र श्री भूरा
3. लाली
4. इन्दिरा
   पुत्रियां श्री भूरा
5. श्री बजरंग पुत्र श्री रामकरण
6. प्रेम पुत्री श्री रामकरण
7. सोसर पत्नी श्री रामकरण
   समस्त जाति जाट निवासीगण केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

.........रेस्पोन्डेन्ट्स

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री राकेश अरोड़ा, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक 22.06.2017

वर्तमान में अजमेर जिले में राजस्व अभियान "न्याय आपके द्वार 2017" का आयोजन किया जा रहा है जिसके तहत प्रकरण प्रस्तुत हुआ। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि श्री किशनलाल पुत्र श्री भूरा जाति जाट निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर ने दिनांक 03.09.2012 को तहसीलदार केकड़ी के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थीगण के दादा श्री रामकरण उर्फ श्योकरण की मृत्यु दिनांक 26.07.1962 को हो चुकी है अतः आराजी खसरा नम्बर 1995 का प्रार्थीगण के नाम विरासत का नामान्तरकरण खोला जाना न्यायोचित है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बाद विधिवत जांच के प्रार्थीगण को सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करते हेतु निर्देशित किया गया। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील पेश होने पर अधिनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व रेस्पोन्डेन्ट्स के नाम नोटिस जारी किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। मियाद के बिन्दु पर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner

पैरोकार सरकार द्वारा एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर न्यायहित में धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कन्डोन कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किये जाने का निश्चय किया गया।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं को ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि वादग्रस्त खसरा नम्बर 1995 रकबा 0.93 हैक्टर अपीलान्ट के पिता श्योकरण उर्फ रामकरण को आवंटित हुई है एवं तत्पश्चात् अपीलान्ट के पूर्वज रामकरण उक्त आराजियात पर काबिज काश्त चले आ रहे है। रामकरण की मृत्यु दिनांक 26.07.1962 को हो चुकी है एवं उसके वारिसान अपीलान्ट एवं अन्य विवादित भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वकील अपीलान्ट ने आगे कथन किया कि उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष समस्त दस्तावेजी एवं नौखिक साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एकमात्र पटवारी रिपोर्ट को आधार मानते हुए रामकरण पुत्र धन्ना को पृथक व्यक्ति होना वर्णित करते हुए आक्षेपीय आदेश से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र निरस्त कर त्रुटि कारित की गई है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष बजरंग लाल पुत्र रामकरण द्वारा श्योकरण व रामकरण के पृथक–पृथक व्यक्ति होने बाबत् साक्ष्य प्रस्तुत की गई है किन्तु उक्त कथनों के समर्थन में किसी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है। वास्तव में श्योकरण उर्फ रामकरण एक ही व्यक्ति है जिसके विधिक वारिस अपीलान्ट एवं अन्य अप्रार्थीगण है जिनका हिस्सा विवादित भूमि में नीहित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विरासतान नामान्तरकरण से महरूम किये जाने की नीयत से आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है। उनका यह भी कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष बजरंग पुत्र रामकरण द्वारा दिये गये बयान बाबत् किसी प्रकार की जिरह इत्यादि का अवसर अपीलान्ट को नहीं दिया गया है। पत्रावली में पेशी दिनांक 13.01.2013 नियत की गई जिसमें पत्रावली गांवों के संग अभियान के बाद पेश होने का अंकन किया हुआ है एवं इसके पश्चात् पत्रावली में बिना किसी प्रकार की दिनांक अंकित किए आक्षेपीय आदेश पारित कर दिया गया है। उन्होंने कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का दायित्व है कि रेकार्डेड खातेदार कृषक की मृत्यु पश्चात् मृतक के विधिक वारिसान की जांच कर मृतक के वारिसान के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करते। पिछले 40 वर्षों से मृत व्यक्ति के नाम कृषि भूमि चली आ रही है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार कर विवादित भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्ट एवं अप्रार्थी संख्या 2 से 7 के पक्ष में स्वीकृत किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश आदेश न्यायोचित है। अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का द्वारा विस्तृत जांच कर मौके पर उपस्थित मौतबिरान की उपस्थिति में मौका पर्चा तैयार किया गया है। मौका रिपोर्ट अनुसार रामकरण व श्योकरण अलग–अलग व्यक्ति है। रामकरण उर्फ श्योकरण नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। पैरोकार

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

68
अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

सरकार ने आगे कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दो मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किये गये है एक में रामकरण उर्फ श्योकरण नाम दर्ज है जबकि मृतक श्री भूरा के मृत्यु प्रमाण पत्र में पिता का नाम केवल श्योकरण ही दर्ज है, उसमें उर्फ रामकरण अंकित नहीं है। उन्होंने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के अन्तर्गत कर आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट समक्ष न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अपील अपीलान्ट निरस्त की जावें।

लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार
2017

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है अपीलान्ट के दादा का नाम राजस्व रेकार्ड में रामकरण वल्द धन्ना जाट सा0 गुलगांव दर्ज है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 14.09.2012 के अनुसार रामकरण व श्योकरण श्री धन्ना के अलग–अलग पुत्र है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मृतक श्री भूरा के मृत्यु प्रमाण पत्र में भी पिता का नाम रामकरण दर्ज है। अपीलान्ट द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती हो कि उनके दादा का नाम रामकरण उर्फ श्योंकरण ही है।

उंपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है, उसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है। अतः अपील अपीलान्ट पोषणीय नहीं होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 22.06.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner